

SIDO KANHU MURMU UNIVERSITY

DUMKA -814110

Email : s.k.m.university.dumka@gmail.com



Website : www.skmu.ac.in

Ref - SKMU/ / /21

Date - /08/2021

अधिसूचना सं. /21

झारखंड सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक DHESec2 संबंधन-27/2020 HTESD 1068 (अनु.) दिनांक 21/08/2021 के आलोक में टोकीपुर बी.एड. कॉलेज, टोकीपुर को शैक्षणिक सत्र 2021-2023, 2022-24 तथा 2023-25 के लिए सशर्त संबंधन प्रदान की गई।

कुलपति के आदेश से।

ह0/-

कुलसचिव

ज्ञापांक - SKMU/सं. 4/84/2021

दिनांक - 28.8.2021

प्रतिलिपि -

1. निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार, राँची
2. कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।
3. सचिव/प्राचार्य, टोकीपुर बी.एड. कॉलेज, टोकीपुर को सूचनार्थ।
4. रक्षी संचिका।

Sidha
28/08/21
कुलसचिव

21/08/21
28.8.21



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

Gyandeep Campus, Bargawan,
Namkum, Ranchi - 834010
Ph.: 0651-6453342, 6453343,
6453344, 6453345
ज्ञानदीप परिसर, बड़गावाँ,
नामकुम, राँची - 834010
फोन : 0651-6453342, 6453343,
6453344, 6453345
Website: www.jac.nic.in
Fax: 0651-2261999

पत्रांक / Ref. JAC/P.T.T./306/13/SEC/12/14 राँची, दिनांक / Date. 08/11/14

प्रेषक,

सचिव

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य,

Tokipur Primary Teacher's Training Institute,

Vill.-Tokipur, Tehsil/Taluka,

Raneshwar, Distt.-Dumka

विषय :-

PTT (D.EL.Ed) कोर्स के सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर के पत्रांक ERC/7-156.6.33/NCTE/D.EL.Ed/2013-18902 दिनांक 14 जून, 2013 के आलोक में परिषद् के निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय को PTT (D.EL.Ed) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संचालन हेतु Examinee Body के रूप में शिक्षा सत्र 2014-2015 से निम्नांकित शर्तों के अधीन औपबंधिक रूप से परीक्षा आयोजन के निमित्त सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

(क) कि महाविद्यालय में प्रशिक्षुओं का नामांकन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड/आरक्षण आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत मेधाक्रम में ही किया जायेगा एवं नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची यथाशीघ्र परिषद् को समर्पित करना होगा।

(ख) अगले सत्र से प्रशिक्षुओं का नामांकन किसी भी परिस्थिति में जून के अंत तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा 07 जुलाई तक नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।

(ग) भविष्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राज्य सरकार के नियम/विनियम द्वारा यथा निर्धारित किसी भी शर्त का पालन नहीं किये जाने एवं प्रतिकूल आदेश प्राप्ति की स्थिति में यह सम्बद्धता रद्द कर दिया जायेगा एवं महाविद्यालय उस सत्र से प्रशिक्षुओं का नामांकन नहीं कर सकेगा।

अतः वर्णित स्थिति में शिक्षा सत्र 2014-2015 के प्रशिक्षुओं का नामांकन करते हुए नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची तीन महीनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन

सचिव

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

Naren Kumar Modi

Secretary
Tokipur Primary Teacher's
Training Institute
VIII.- Tokipur, P.O.- Sukhjora
P.s.- Raneshwar